भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1209

जिसका उत्तर 08.12.2021 को दिया जाना है

गुलबर्गा शहर के लिए सड़क बाइपास परियोजना

1209. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुलबर्गा शहर के बाइपास के लिए कुल 1,481.11 करोड़ रु. की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बहुत पहले कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुई थी, जो हैदराबाद - कर्नाटक क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक है और जिससे चार राज्यों (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक) को भी सुविधा मिलेगी;

(ख) क्या यह सच है कि बाइपास सड़क के निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई थी और यह इस कार्य को नया राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नंबर देने के चरण में अटक गया था; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की स्थिति और कार्य को पूरा करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मंत्रालय ने पहले ही गुलबर्गा शहर को बायपास करने वाले और तीन राष्ट्रीय राजमार्गों नामतः रारा-150ई, रारा-150 और रारा-50 से पार करने वाली रिंग रोड का निर्माण किया है। कर्नाटक के राज्य पीडब्ल्यूडी ने सितंबर, 2018 के दौरान गुलबर्गा शहर में बाईपास रोड (आउटर रिंग रोड) के निर्माण के लिए इस मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कर्नाटक सरकार को प्रस्ताव अक्टूबर, 2018 में वापस कर दिया गया था। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य सरकार ने गुलबर्गा के आसपास बाहरी रिंग रोड के ग्रीन फील्ड संरेखण को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी अनुरोध किया था। मंत्रालय को राज्य की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के रूप में घोषित/उन्नयन करने के लिए कर्नाटक राज्य सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। मंत्रालय समय-समय पर संपर्कता की आवश्यकताओं, परस्पर प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर कुछ राज्यों की सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार करता है।

*****